(ख) झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नियमावली, 2014

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

-: अधिसूचना :-

संख्या-1/स्था०सह०प्र०पदा०से०नि०-51/2007 सह०-3596/ राँची, दिनांक-24.10.2014

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

अध्याय-1
प्रारभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-**

   (i) यह "नियमावली झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014" कहलायेगी।

   (ii) यह नियमावली सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगी।

   (iii) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **सेवा का सम्वर्ग :-** सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्राधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी इस सेवा के सदस्य होंगे।

3. **परिभाषाएँ :-**

   (i) राज्य से अभिप्रेत है-झारखण्ड राज्य।

   (ii) विभाग से अभिप्रेत है-सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।

   (iii) नियमावली से अभिप्रेत है-झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) संवर्ग नियमावली, 2014

   (iv) संवर्ग से अभिप्रेत है-सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग।

   (v) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है-निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

(vi) आयोग से अभिप्रेत है-झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग

(vii) राज्यपाल से अभिप्रेत है-झारखण्ड राज्य के राज्यपाल।

4. सेवा/संवर्ग की रचना एवं वेतनमान :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	भर्ती का प्रकार
1.	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी(मूल कोटि)	PB-II-9300-34800/- +Grade Pay-4200	100 % सीधी भर्ती

अध्याय-2
भर्ती/नियुक्ति

5. **सेवा/संवर्ग में नियुक्ति प्राधिकारी :-** निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची होगें।

6. **रिक्तियों का नियतीकरण :-**सेवा में नए पद का सृजन, सेवानिवृति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने तथा पदच्युत किए जाने से उपलब्ध रिक्ति अथवा पूर्व वर्ष में बिना भरी गई रिक्तियाँ अर्थात प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी की तिथि को उपलब्ध रिक्तिनुसार पदों को भरा जायगा।

7. **रिक्तियों में आरक्षण :-**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जायगा।

अध्याय-3
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

8. **सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया** :-कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय चयन प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची से नियुक्त किया जाएगा।

9. **सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता /अर्हताएँ :-**

(i) **शैक्षणिक योग्यता :-** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री।

(ii) **उम्र सीमा**[1] **:-** यथा राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के अनुरूप उम्र की गणना की जायेगी।

---

[1] झारखंड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) के अधिसूचना संख्या-01, स्था०सह०प्र० पदा० से०नि०-51/2007 सह०- 483/राँची, दिनांक-26.02.2016 द्वारा नियम-9(ii) में संशोधन निम्नवत् है:- "संशोधन- झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 9(ii) को संशोधित करते हुए सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 (इक्कीस) वर्ष निर्धारित की जाती है।"

10. **रिक्तियो का संसूचन** :- नियोक्ता प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी तक की रिक्तियो की संख्या, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पदो को संख्या को निर्धारित (अवधारित) करेगा तथा इसकी सूचना/अधियाचना नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष की 28/29 फरवरी तक आयोग को विहित रीति से उपलब्ध कराया जायगा।

11. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** :- विभाग की अधियाचना के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशसा विभाग को उपलब्ध कराएगा।

अध्याय-4
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

12. **प्रोन्नति हेतु कालावधि** :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि अनुमान्य होगी।

अध्याय-5
विविध

13. **प्रोन्नति का पद सोपान** :- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (राजपत्रित-वर्ग ख) के पद पर वरीयता-सह-योग्यता एवं प्रोन्नति के अन्य मापदण्ड के आधार पर योग्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

14. **परीवीक्षा** :-

(क) ऐसे मौलिक पदों के विरूद्ध नियुक्त कर्मी दो वर्ष की अवधि तक के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

(ख) नियोक्ता समुचित मामले में कारण अभिलिखित करते हुए परीवीक्षा की अवधि को अतिरिक्त एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं।

(ग) परीवीक्षा की अवधि में असंतोषजनक कार्य पाए जाने पर नियोक्ता द्वारा सेवा समाप्त किया जा सकेगा।

(घ) सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा मूल कोटि में नियुक्त सदस्य दो वर्ष तक परीवीक्षा अवधि में रहेंगे और इस अवधि में असंतोषप्रद सेवा या विभागीय कार्यकलाप पर नियंत्री पदाधिकारी/निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित किए जाने पर परीवीक्षा अवधि छः माह के लिए बढ़ा दी जायगी और कमी से अवगत करा दिया जायगा। फिर भी सेवा असतोषप्रद रहने पर या विभागीय कार्यकलाप के आधार पर प्रतिकूल टिप्पणी नियत्रण पदाधिकारी/निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रतिवेदित की जाती है तो इन्हें बिना कारणपृच्छा के पूर्व पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

15. **प्रशिक्षण :-** नियुक्ति की तिथि से अगले 2 (दो) वर्ष के अन्दर सहकारी प्रबंधन में उच्चतर पात्रोपाधि (Higher Diploma in Co -operative Management) पाठ्यक्रम के अंतर्गत छः से नौ माह का सवैतनिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

प्रशिक्षण की योजना एवं पाठ्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के पैटर्न पर अथवा राज्य सरकार के यथानिर्देशानुसार तैयार की जायेगी।

16. **विभागीय परीक्षा :-** हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा, लेखा परीक्षा, सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 से संबंधित परीक्षा तथा जनजातीय भाषा परीक्षा नियमानुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

17. **सेवा सम्पुष्टि :-** परीवीक्षा की अवधि पूरी करने पर पदाधिकारी को सम्पुष्ट कर दिया जायेगा यदि-

(क) उसका कर्त्तव्य एवं आचरण संतोषजनक पाया गया हो।

(ख) राजभाषा विभाग द्वारा विहित हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण लेखा एवं जनजातीय की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली गई हो।

(ग) परीवीक्षाधीन अवधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण पूर्ण कर ली गई हो।

(घ) नियोक्ता को यह समाधान हो जाय कि वह अपने पद पर सम्पुँटि के योग्य हो गया हो।

18. **प्रशासनिक नियंत्रण :-** निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची होंगे।

19. **अनुशासनिक कार्रवाई :-** सिविल अधीनस्थ सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश के अन्तर्गत विभागीय निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा की जायेगी।

20. **सेवा की अन्य शर्त्तें :-**

(क) संवर्गीय कर्मियों को आवश्यकतानुसार राज्य/केन्द्र/अन्य विभाग एवं किसी संस्थान में नियोक्ता द्वारा प्रतिनियुक्ति किया जा सकेगा।

(ख) संवर्गीय कर्मी अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा, आयकर आदि का विवरण निबंधक, सहयोग समितियाँ को प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक उपलब्ध करायेंगे। इनके गोपनीय चारित्रिक अभ्युक्तियों की लिखने की जिम्मेवारी सहायक निबंधक/ जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं समकक्ष होंगे तथा समीक्षी पदाधिकारी उप निबंधक/ संयुक्त निबंधक एवं स्वीकरण पदाधिकारी निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची होंगे।

21. **वरीयता** :- आयोग/पर्षद की मेधा सूची अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर वरीयता निर्धारण हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप इस संवर्ग की वरीयता निर्धारित की जायेगी।

22. **निरसन** :-

(i) इस नियमावली द्वारा की गई व्यवस्था के अलावे सेवा संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति का वेतन (जिसके अन्तर्गत वेतन का निर्धारण भी है) भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्त्त तत्समय इस हेतु प्रवृत सामान्य नियमों, परिपत्रों तथा आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(ii) इस नियमावली के प्रवृत होने से पूर्व इस संबंध में लागू नियमावली/राज्यादेश निरसित हो जायेगें तथा उसके अन्तर्गत किये कार्य या कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आलोक में की गयी हो।

(iii) इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए विभाग सक्षम होगा और आवश्यकतानुसार वित्त/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा

(iv) जिन विन्दुओं या विषयों का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

-: अधिसूचना :-

संचिका संख्या-01/स्था०सह०प्र०पदा०से०नि०-51/2007 सह०-483/राँची, दिनांक-26-02-2016

विभागीय अधिसूचना संख्या- 3596 दिनांक-24-10-2014 द्वारा अधिसूचित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 9(ii) के प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

पूर्व प्रावधान- उम्र सीमा :- यथा राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के अनुरूप उम्र की गणना की जायेगी।

संशोधन :- झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 9(ii) को संशोधित करते हुए सीधी नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 (इक्कीस) वर्ष निर्धारित की जाती है।

2. नियमवाली के अन्य प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

3. विभागीय ज्ञाप संख्या-252 दिनांक-01-02-2016 के प्रस्ताव पर दिनांक-02-02-2016 को मद सं०-4 द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(डा. नितिन कुलकर्णी)

सरकार के सचिव

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

-ः अधिसूचना ः-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-3596 दिनांक-24.10.2014 द्वारा अधिसूचित एवं अधिसूचना संख्या-483 दिनांक-26.12.2016 द्वारा संशोधित झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली-2014 में निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी अनुशंसा तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-3849 दिनांक-10.08.2021 द्वारा गठित **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के आलोक में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है**ः-

1. **संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारंभः**

(1) यह नियमावली "झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021" कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम-2 सेवा का संवर्ग-में निम्नांकित प्रावधान हैः-

"सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्राधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, इस सेवा के सदस्य होंगे";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"सेवा का संवर्ग--कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के नियंत्राधीन सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, इस सेवा के सदस्य होंगे।"

3. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम-3 परिभाषाएँ-(ii) में निम्नांकित प्रावधान हैः-

"विभाग से अभिप्रेत है- सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"विभाग से अभिप्रेत है- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची।"

4. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम-9(i) शैक्षणिक योग्यता में निम्नांकित प्रावधान हैः-

"मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री।

172
22.02.2022

अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वी0 कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वी0 कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

5. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम 15 प्रशिक्षण में निम्नांकित प्रावधान है:-

"नियुक्ति की तिथि से अगले 2 (दो) वर्ष के अंदर सहकारी प्रबंधन में उच्चतर पात्रोपाधि (Higher diploma in co-operative management) पाठ्यक्रम के अंतर्गत छह से नौ माह का सवैतनिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की योजना एवं पाठ्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पैटर्न पर अथवा राज्य सरकार के यथानिर्देशानुसार तैयार की जायेगी।";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"नियुक्ति की तिथि से अगले 2 (दो) वर्ष के अंदर सहकारी प्रबंधन में उच्चतर पात्रोपाधि (Higher diploma in co-operative management) पाठ्यक्रम के अंतर्गत छह से नौ माह का सवैतनिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उक्त प्रावधान झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24/10/2014) के पूर्व नियुक्त सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगी। प्रशिक्षण की योजना एवं पाठ्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के पैटर्न पर अथवा राज्य सरकार के यथानिर्देशानुसार तैयार की जायेगी।"

6. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम 16 विभागीय परीक्षा में निम्नांकित प्रावधान है:-

"हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा, लेखा परीक्षा, सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 से संबंधित परीक्षा तथा जनजातीय भाषा परीक्षा नियमानुसार उतीर्ण करना अनिवार्य होगा।";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा तथा जनजातीय भाषा परीक्षा नियमानुसार उतीर्ण करना अनिवार्य होगा।"

7. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम 17(ख) सेवा सम्पुष्टि में निम्नांकित प्रावधान है:-

"राजभाषा विभाग द्वारा विहित हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण, लेखा एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली गयी हो।";

172
22.02.2022

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विहित हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण एवं राजस्व पर्षद द्वारा जनजातीय भाषा की परीक्षा नियमानुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।"

8. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2014 की नियम 22(iv) में निम्नांकित प्रावधान है:-

"जिन बिन्दुओं या विषयों का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।";

को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"जो विषय अथवा बिन्दु प्रस्तुत नियमावली में वर्णित प्रावधानों से आवृत/आच्छादित नहीं होंगे, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा तत्समय एवं तद्विषयक प्रवृत नियम/अनुदेश स्वयमेव प्रभावी/लागू होंगे। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 प्रभावी होगा।"

9. विभागीय अधिसूचना संख्या-3596 दिनांक-24.10.2014 एवं अधिसूचना संख्या-483 दिनांक-26.12.2016 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-01/स्था0अराज0(सह0प्र0पदा0प्रो0)-118/2015 सह0 172 **/राँची, दिनांक** 22.02.2022

प्रतिलिपिः-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-01/स्था0अराज0(सह0प्र0पदा0प्रो0)-118/2015 सह0 172 **/राँची, दिनांक** 22.02.2022

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

18/2/22

ज्ञापांकः–01/स्था0अराज0(सह0प्र0पदा0प्रो0)–118/2015 सह0 172 /राँची, दिनांक 22·02·2022

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

E-Mail

ज्ञापांकः–01/स्था0अराज0(सह0प्र0पदा0प्रो0)–118/2015 सह0 172 /राँची, दिनांक 22·02·2022

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण सहित), सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 22/2/22